




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 134]  
No. 134]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 1988/ फाल्गुन 17, 1909  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 1988/PHALGUNA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1988

अधिसूचना

का.आ. 245(अ) -- कार्नामी मिर्च निर्यात के लिए प्रतिबंधित है जब तक कि यह वाणिज्य कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्निकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अन्तर्गत बनाए गए मिर्च श्रेणीकरण और चिह्निकन नियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार श्रेणीकरण न की गयी हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार का एम्बार्क श्रेणीकरण का शय आशय का प्रमाणपत्र न हो।

और केन्द्रीय सरकार की निर्यात निरीक्षण परिपत्र से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि यह समीचीन है कि कार्नामी मिर्च को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अन्तर्गत रखते हुए अधिसूचित किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, :-

- (1) अधिसूचित करता है कि कार्नामी मिर्च का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा,

(2) मिर्च श्रेणीकरण और चिह्निकन नियम, 1961 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार की क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिश्चित करती है, जो निर्यात से पूर्व ऐसी कार्नामी मिर्च को लागू होगा,

(3) कार्नामी मिर्च श्रेणीकरण और चिह्निकन नियम, 1961 के अर्धीन बनाए गए श्रेणी अभिधानों की मान्यता देती है,

(4) कार्नामी मिर्च के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान उसके निर्यात को तब तक प्रतिबंधित करती है जब तक कि वह उसको लागू मानक विनिर्देशों को पुराने करता हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अन्तर्गत स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी के द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र संलग्न हो।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात भू-भाग, जल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा कार्नामी मिर्चों के ऐसे वाणिज्यिक नमूनों के निर्यात को, जो भारत में 1 फिलीग्राम से अधिक न हों, लागू नहीं होगी।

3. इस अधिसूचना में "काली मिर्च" से भारत में उत्पादित मासुन या चूणित काली मिर्च अभिप्रेत होंगी।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. स. 6(9)/88-ई.आर्.एण्ड ई.पी.]

एम आर. शिवरामन, मयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 7th March, 1988

#### NOTIFICATION

S.O. 245 (E) —Whereas black pepper is prohibited for export unless such commodity has been graded in accordance with the provisions of the Pepper Grading and Marking Rules, 1961 made under section 3 of the Agriculture Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and is accompanied by a certificate of Agmark Grading to the effect from the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India :

And whereas the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, is of the opinion that it is expedient to notify black pepper subjecting the same to quality control and inspection prior to export ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, hereby :—

1. (1) notifies that black pepper shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies as type of inspection in accordance with the Peper Grading and Marking Rules, 1961 as the type of quality control and inspection which shall apply to such black pepper prior to export ;

(3) recognises the grade designations formulated under the Pepper Grading and Marking Rules, 1961 ;

(4) prohibits the export in the course of international trade of black pepper unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) .

2. Nothing in this notification shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of black pepper not exceeding one kilogram in weight (net) .

3. In this notification "black pepper" shall mean the black pepper whether whole or powder produced in India.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6 (9) 188-E1&EP]

M. R. SIVARAMAN, Jt. Secy.